प्रकरण संख्या 21/2021 मांगीलाल बनाम मैसर्स जयभवानी ग्रेनाइट

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव महासिंह जी का खेड़ा में वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 329 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त राजस्व रेकार्ड में वादीगण का 387/306 अर्थात 15 बीघा 6 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 387/64 अर्थात 3 बीघा 4 बिस्वा 5 बिस्वांसी व प्रतिवादी संख्या 5 का 387/16 अर्थात 16 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि दर्ज है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं, किन्तु भूमि शामलाती दर्ज होने से रहन रखने, ऋण लेने एवं लगान भरने में असुविधा होती है तथा अनावश्यक विवाद पैदा होता है। अतः उक्त आराजी का उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में दिनांक 25.08.2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री शेषमल गाडरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामला रिमाण्ड होने के बाद प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी यदि सूचना दी जाती तो लॉकडाउन के अलावा प्रार्थी अवश्य उपस्थित रहते। कथित निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थी को प्रथम बार दिनांक 18.08.2021 को हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 601 व आर.बी.जे. 2019 पेज 436 प्रस्तुत की।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त न्यायिक नजीरों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा करीब 1 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की है और आपसी विभाजन में जो ढाई बीघा जमीन करीब 50–60 वर्षो से उसके हिस्से में आयी है उसी पर अपीलान्ट काबिज है तथा चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी है। अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अपने खनन स्वीकृत क्षेत्र में खनन नहीं करने के उद्देश्य से झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट ने जिन कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, उसे रेकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः पक्षकारों के सही न्याय के लिए कमिश्नर नियुक्त कर मौके की स्थिति को रेकार्ड रेकार्ड पर मंगवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो सारहीन होने से खारिज किया जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट कर उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाना चाहता है, परन्तु किसी भी पक्षकार को अपना प्रकरण स्वयं सिद्ध करना होता है। अपील न्यायालय द्वारा किसी एक पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के गुणावगुण पर बहस करने हुए निवेदन किया कि आप न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना सुचारू रूप से नहीं की गयी है तथा बंटवारा प्रत्येक व्यक्ति की भूमि का अलग–अलग नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का हिस्सा अलग करके बाकी सभी के हिस्से शामिल कर [illegible] डिक्री जारी की गयी है, जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है उसे बिना सूचना दिये एवं बिना सुने डिक्री पारित कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 21/2021 मांगीलाल बनाम मैसर्स जयभवानी ग्रेनाइट

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (26) 2019 पेज 751, आर.बी.जे. (24) 2017 पेज 299 व 2017 डी.एन.जे. (SC) पेज 415 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, उसमें अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5, 1/5 हिस्से का विभाजन कर दिया गया है, उनका विभाजन अलग–अलग नहीं किया गया है तथा बंटवारा प्रस्ताव भी तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जो बंटवारा नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर 2017 डी.एन.जे. (SC) पेज 415 प्रस्तुत की गयी है, उसका अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2022 को ही मृतक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 नारू का नाम तर्क किये जाने का आदेश दिया जा चुका है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.08.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार सभी पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर उनकी भूमि का अलग–अलग मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करें। पक्षकारान दिनांक 12.05.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर